सैयद हसन रसूल नुमा और एक अन्य

बनाम

भारत का संघ और एक अन्य

नवंबर 15,1990

[के. जगन्नाथ शेट्टी और ए.एम. अहमदी, न्यायाधिपतिगण]

दिल्ली विकास अधिनियम 1947-धारा 44-दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-किए गए संशोधन- 'आवासीय' से 'मनोरंजक' में प्रस्तावित परिवर्तन- सूचना की आवश्यकताएं और प्रकाशन की आवश्यकता-अनिवार्य।

प्रतिवादी संख्या 2, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 5 जुलाई 1975 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार 'दरगाह शहीद खान' के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करने का प्रस्ताव रखती है। यह अधिसूचित किया गया था कि विचाराधीन क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'मनोरंजक' में बदलने का प्रस्ताव है और प्रस्तावित संशोधन पर कोई भी आपत्ति या सुझाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां/सुझाव दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसकी तारीख से तीस दिनों के भीतर भेज सकता है। अपीलकर्ताओं ने अपनी आपत्ति 18.10.1975 को भेजी, जो आपत्तियां दायर करने की अंतिम तिथि की समाप्ति की तारीख के ढाई महीने बाद है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने उस आपत्ति पर विचार नहीं किया है। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सार्वजनिक नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक सूचना को दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 44 के तहत निर्धारित तरीके से प्रचार नहीं किया गया था; क्योंकि यह न तो उस इलाके के भीतर विशिष्ट स्थान पर चिपकाया गया था, जहां भूमि स्थित है और न

ही ढोल की थाप से इसकी घोषणा की गई थी। अपीलार्थियों के अनुसार धारा 44 के प्रावधान अनिवार्य हैं। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी गई, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद यह अपील दायर की है। अपीलकर्ताओ द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी वही तर्क दोहराये गये है।

अपील को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

व्याख्या के मामलों में किसी एक शब्द पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और दूसरे शब्दों पर बहुत कम ध्यान देना चाहिए। कानून में कोई प्रावधान और अनुभाग में कोई भी शब्द अलग-अलग नहीं समझा जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान और प्रत्येक शब्द को सामान्य रूप से और उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। [170 ई-एफ]

धारा 44 के लिये आवश्यक है कि प्राधिकरण के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस को मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने वाले इलाके में व्यापक रूप से जाना जाये। इसे (i) उक्त इलाके के भीतर विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस की प्रतियां चिपकाकर या (ii) उसे ड्रम के माध्यम से प्रकाशित करके; या (iii) स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन, द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। [170 बी-सी]

तीन वैकल्पिक विधियाँ निर्धारित की गई हैं। अधिकारियों को दोनो में से कोई एक तरीका अपनाना होगा, यह अनिवार्य है। इस संबंध में कोई विवेक नहीं है। हालाँकि, विवेक यह है कि दो से अधिक तरीको का पालन किया जाये। प्रकाशन के किसी अन्य माध्यम का पालन करना भी विवेकाधीन जिसे सचिव उचित समझे। यह सचिव पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभाग की समग्र संरचना द्वारा लिया जाने वाला यह एकमात्र उचित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है। [170 जी-171 ए]

वर्तमान मामले में, नोटिस केवल स्थानीय समाचार पत्रो, अर्थात दैनिक प्रताप, हिंदुस्तान टाईम्स में प्रकाशित किया गया है। यह धारा 44 के तहत प्रदान किए गए प्रकाशन के तीन साधनों में से केवल एक है और यह स्पष्ट रूप से धारा की अनिवार्य आवश्यकताओं से कम है। चूंकि धारा 44 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए विचाराधीन नोटिस की कोई वैधता नहीं है और उसके अनुसार की गई कार्यवाही की भी कोई वैधता नहीं है। [172 बी-सी]

खुब चंद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [1967] 1 एससीआर 120; कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) इलाहाबाद एवं एक अन्य बनाम वी. राजा राम जैसवाल आदि, [1985] 37 एस.सी.सी. 1, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1906/1976।

सिविल रिट याचिका संख्या 59/1976 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28/7/1976 से।

राजिंदर सच्चर, बी.वी. देसाई और डी.बी. कालिया, अपीलार्थियों के लिये।

वी.सी. महाजन, वी.बी. सहारिया, वी.एन. गणपुले और सी.वी. सुब्बाराव, प्रतिवादीगणों के लिये।

न्यायालय का निर्णय के. जगन्नाथ शेट्टी, न्यायाधिपति द्वारा द्वारा दिया गया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 5 जुलाई 1975 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय सरकार दिल्ली के लिये मास्टर प्लान में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.66 हेक्टेयर (9 एकड़) है, जो दरगाह शहीद खान के रूप में जाना जाता है, जो जोन डी-5 (डी.आई.जेड क्षेत्र) में, उत्तर में 45.72 मीटर (150 फीट) के क्षेत्र में आर/डब्ल्यू उत्तर में 45.72 में पंचकुइन रोड,

पूर्व में मीटर (150 फीट) रामकृष्ण रोड और दक्षिण-पश्चिम में आवासीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। यह अधिसूचित किया गया था कि इस क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'मनोरंजक' (जिला पार्क और खुली जगह) में बदलने का प्रस्ताव किया गया था और प्रस्तावित संशोधनो के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह अपनी आपत्तियां या सुझाव उसकी तारीख से तीस दिनो के भीतर सचिव दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज सकता है।

पहला अपीलकर्ता स्वर्गीय हजरत सैयद हसन रसूद-नुमा की दरगाह होने के नाते एक धार्मिक और धर्मार्थ संप्रदाय होने का दावा करता है और दूसरा अपीलकर्ता सज्जादा नशीन पहले अपीलकर्ता का (आध्यात्मिक विचारक) है। पहला प्रतिवादी भारत संघ है। दूसरा प्रतिवादी दिल्ली विकास प्राधिकरण ("डीडीए") है।

अपीलार्थीगण ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'मनोरंजक' में परिवर्ति करने की आवश्यकता अपीलकर्ताओ को उनकी भूमि के लाभ से वंचित करने की एक चाल प्रतीत होती है क्योंकि आसपास के क्षेत्र में ऐसे कई मनोरंजक उद्यान और खुले स्थान है जो कि दिल्ली के मास्टर प्लान के भूमि उपयोग मानचित्र और दिल्ली गाइड मानचित्र, 1969 को देखने मात्र से आसपास के क्षेत्र का पता चल जायेगा। उन्होंने कुछ केंद्र में स्थित कुछ उद्यानों के नाम रखे है जैसे बुद्ध जयंती उद्यान, रवींद्र रंगशाला और उसके जंगलों, तालकटोरा उद्यान और पंचकुइन रोड के पर एक और पार्क।

अपीलार्थियों का मामला यह है कि उक्त नोटिस को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ("अधिनियम") की धारा 44 के तहत निर्धारित तरीके से प्रचारित नहीं किया गया था। इसे उस इलाके के भीतर जहां भूमि जहां भूमि स्थित है, विशिष्ट स्थानों पर नहीं चिपकाया गया था, और न ही ढोल बजाकर इसकी घोषणा की गई थी। इसलिए उन्हें नोटिस के बारे में जानकारी नहीं थी और वे निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी

आपत्तियां दर्ज नहीं कर सके। यह भी तर्क दिया जाता है कि धारा 44 के प्रावधान अनिवार्य हैं और भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में सूचना धारा के तहत निर्धारित दो या दो से अधिक माध्यमों से प्रकाशित की जानी चाहिए। हालाँकि, जब उन्हें अन्य तरीकों से नोटिस के बारे में पता चला, तो उन्होंने देर से ही सही, अपनी आपत्तियाँ भेजीं। आपत्ति 18 अक्टूबर, 1975 को डी.डी.ए. के सचिव को भेजी गई थी। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने उस आपत्ति पर विचार नहीं किया है। इन और अन्य आरोपों के साथ अपीलकर्ताओं ने सार्वजनिक नोटिस की वैधता को चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।

दावे पर संभवतः प्रारंभिक सुनवाई के माध्यम से उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा सुनवाई की गई। पक्षकारों द्वारा दायर शपथपत्रो पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित तर्को पर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रिट याचिका को खारिज कर दियाः

> "यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने विवादित नोटिस के बाबत आपत्तियां दर्ज की थी हालांकि, देरी से। इसलिये, हमारी राय है कि भले ही यह मान लिया जाये कि अधिनियम की धारा 44 के प्रावधान अनिवार्य है और इसका अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि नोटिस का प्रकाशन दो या दो से अधिक निर्धारित तरीको से नहीं है, याचिकाकर्ता का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और हमारे रिट क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।"
>
> अपीलार्थीगण अब विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील करते हैं।

निर्णय के लिए दो प्रश्न हैं: (i) क्या अपीलकर्ताओ द्वारा देर से दायर की गई आपत्ति पर अधिकारियो द्वारा विचार किया गया है? और (ii) धारा 44 की आवश्यकताएँ क्या हैं; क्या मौजूदा मामले में उनका अनुपालन किया गया है?

उच्च न्यायालय का तर्क आसानी से समझ में नहीं आता है। निर्णय में प्रश्नो में से किसी भी एक पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हम बारी-बारी से प्रश्नों को उठा सकते हैं। पहले प्रश्न पर, प्रतिवादीगणो ने रिट याचिका का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में अपने अपने शपथ पत्र दाखिल किये है। सचिव, डी. डी. ए. ने अपने शपथपत्र में कहा है कि अपीलार्थियों की आपत्ति विचार के लिये केंद्र सरकार को भेज दी गई थी। उनका मामला था कि केवल केंद्र सरकार ही सार्वजनिक नोटिस के खिलाफ इच्छुक व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने में सक्षम थी। श्री के. बिस्वास, उप सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने शपथपत्र में अन्य बातों के साथ कहा हैः

> "...डी.डी.ए. द्वारा प्रकाशित 5 जुलाई 1975 की सार्वजनिक सूचना के जवाब में प्राप्त सभी आपत्तियो/सुझावो पर विचार करने के लिये तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में 25/10/1975 को एक बैठक की गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओ की आपत्तियो वाला पत्र दिनांक 18/10/1975 इस मंत्रालय में 21/10/1975 को प्रापतहुआ था, यानि कि उपरोक्त बैठक बुलाने के ज्ञापन दिनांक 17/10/1975 के जारी होने के बाद, उक्त आपत्तियो को बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं किया जा सका। हालांकि, उन आपत्तियो में से, जो देरी से (याचिकाकर्ताओं सहित) प्राप्त की गई थी, को बैठक में पढ़ा गया था और उन पर विधिवत विचार किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियां निराधार थी, इसलिये उन्हें खारिज कर दिया गया। बैठक के कार्यवृत में केवल उन्ही आपत्तियो/सुझावो को स्थान मिला जो एजेंडे में शामिल

थे और जिनका कोई महत्व था। इस प्रकार यह देखा जायेगा कि यदयपि याचिकाकर्ताओ ने आपत्तियां दाखिल करनेकी अंतिम तिथि समाप्त होने के ढाई महीने बाद आपत्तियां दायर की, लेकिन 25 अक्टूबर, 1975 को आयोजित बैठक में इस पर विचार किया गया।"

इन कथनों से यह स्पष्ट है कि प्राप्त सभी आपत्तियो पर विचार के लिये बुलाई गई बैठक के एजेंडे में अपीलकर्ताओ की आपत्तियो का विवरण सूचीबद्व नहीं किया गया था। हालाँकि, यह दावा किया गया है कि बैठक में अपीलार्थियों की आपत्ति को पढ़ा गया और खारिज कर दिया गया। लेकिन यह इंगित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस पर विचार किया गया था और अस्वीकार कर दिया गया था। किसी भी कीमत पर, यह बैठक की कार्यवाही से सामने नहीं आता है। वस्तुतः यह स्वीकार किया जाता है कि विचाराधीन आपत्ति के निपटारे के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैठक की कार्यवाही को दर्ज और बनाए नहीं रखा गया है। यह बहुत कुछ है, लेकिन यह केवल बैठक के एजेंडे में सूचीबद्ध वस्तुओं तक ही सीमित है। जब बैठक की कार्यवाही दर्ज की जाती है, तो कोई भी स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगा कि बैठक में जो कुछ भी हुआ उसे बैठक के कार्यवृत में जगह मिलनी चाहिये। ऐसे किसी भी अभिलेख के अभाव में, हमें स्वीकार करना मुश्किल पाते है कि प्रतिवादीगणो की आपत्ति पर किसी भी अन्य आपत्ति की तरह अधिकारियो द्वारा विचार किया गया था। अतः उच्च न्यायालय यह मानने में त्रुटि कर रहा है कि अपीलकर्ताओ के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। हालाँकि, हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ताओं को अधिकारियो द्वारा देर से की गई अपनी आपत्ति पर विचार करने का अधिकार है। यदि कानून के तहत निर्धारित सूचना का वैध प्रकाशन था, तो उन्हें सूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। वे निर्धारित अवधि के बाद अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कर सके और न ही शिकायत कर सके। आपत्ति पर विचार न करने से पूर्वाग्रह से

ग्रस्त हो गया है। पूर्वाग्रह तभी माना जा सकता है जब निर्धारित अवधि के भीतर दायर की गई आपत्ति पर सक्षम अधिकारियो द्वारा विचार नहीं किया जाता है।

दूसरा प्रश्न अधिनियम की धारा 44 की आवश्यकताओं और वर्तमान मामले में इसके अनुपालन से संबंधित है। यह विचार के लिए प्राथमिक और सर्व-महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 44 में प्रावधान है:

> "44. सार्वजनिक सूचना को कैसे अवगत कराया जाए – अधिनियम के तहत दी गई प्रत्येक सार्वजनिक सूचना प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में प्रस्तुत की जायेगी और उक्त इलाके के भीतर विशिष्ट सार्वजनिक स्थानो पर इसकी प्रतियां चिपकाकर या ढोल बजाकर या स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देकर या इसे प्रकाशित करके प्रभावित होने वाले इलाके में व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा। इनमें से कोई भली दो या अधिक साधन, और किसी भी अन्य माध्यम से जो सचिव उचित समझे।"

इसके लिए आवश्यक है कि प्राधिकरण के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस को मास्टर प्लान में प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने वाले इलाके में व्यापक यप से जाना जाये। इसे (i) उक्त इलाके के भीतर विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर सूचना की प्रतियां चिपकाकर; या (ii) उसे ढोल बजाकर प्रकाशित करके; या (iii) स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन, देकर प्रकाशित किया जाएगा। ये धारा के तहत निर्धारित प्रकाशन के तीन वैकल्पिक तरीके हैं। यह धारा इस बारे में कहती है: "या इनमें से किसी भी दो या अधिक माध्यमों से, और किसी अन्य माध्यम से जो सचिव उचित समझे।" यह धारा का अंतिम भाग है जो पक्षों के बीच विवाद का कारण है। इसे आसानी से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग में लिखा है "इनमें से किसी भी दो या

अधिक माध्यमों से" और अगले भाग में लिखा है "और किसी भी अन्य माध्यम से जिसे सचिव उचित समझे।"

प्रतिवादीगणो के वकील का तर्क है कि धारा का अंतिम भाग सूचना के प्रकाशन की एक अन्य वैकल्पिक विधि प्रदान करता है और यदि धारा में प्रदान की गई किसी भी विधि में प्रकाशन होता है, तो यह वैधानिक आवश्यकता को पूरा करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि तर्क केवल धारा के अंतिम भाग से ठीक पहले प्रयुक्त शब्द 'या पर आगे बढता है। लेकिन व्याख्या के मामलों में किसी को एक शब्द पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए और दूसरे शब्दों पर बहुत कम ध्यान देना चाहिए। कानून में किसी भी प्रावधान और धारा में किसी भी शब्द को अलग अलग नहीं समझा जा सकता है। प्रत्येक प्रावधान और प्रत्येक शब्द को सामान्य रूप से और उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 44 के प्रावधानों को खुशी से नहीं कहे गए है, लेकिन अगर हम धारा की शर्तों को ध्यान से पढ़ते हैं, तो अपीलार्थियों के लिए वकील की प्रस्तुती पूरी तरह से अस्थिर प्रतीत होती है। धारा के अंतिम भाग के दोनों अंगों में उपयोग किए जाने वाले शब्द महत्वपूर्ण हैं। पहला 'इन साधनों' को संदर्भित करता है और दूसरा 'अन्य साधनो को संदर्भित करता है। ड्राफ्ट्समैन द्वारा इन शब्दों 'इन साधनो' पर जोर दिया जाता है, जिसका सीधा अर्थ धारा में दिये गये किन्ही दो या अधिक साधनो से है। यहां तीन वैकल्पिक तरीके निर्धारित है। अधिकारियो को दोनों में से किसी भी एक तरीके का पालन करना होगा। यह अनिवार्य है। इस संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं है। हालाँकि, दो तरीके से अधिक का पालन करने का विवेक है। प्रकाशन के किसी अन्य तरीके का पालन करना भी विवेकाधीन है, जिसे सचिव उचित समझे। यह सचिव पर छोड़ दिया गया है। यह धारा की समग्र संरचना द्वारा अपनाया जाने वाला एकमात्र उचित और समझदार दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 11(ए) मास्टर प्लान और क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के लिये प्रक्रिया प्रदान करती है। इसकी उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि किसी भी योजना में कोई भी संशोधन करने से पहले, प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार प्रस्तावित संशोधन के संबंध में व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुये सूचना में निर्दिष्ट तिथि से पहले एक सूचना जारी करेगी। इसका उददेश्य यह उन व्यक्तियों को आपत्ति दर्ज करने और सुझाव दाखिल करने का अवसर देना है जो योजना के संशोधन से प्रभावित हो सकते है। वास्तव में, इच्छुक व्यक्तियों या जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है। दरअसल, असल, इच्छुक व्यक्तियो या प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियो को निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी आपत्तियां और अभ्यावेदन दायर करने का अधिकार है। उन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा आपत्तियो पर विचार कराने का भी अधिकार है। इन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, व्यक्तियों को कानून में निर्दिष्ट स्पष्ट सूचना देते हुए प्रकाशन के निर्धारित साधनों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों के अधिकारों या हितो के क्षीण होने की संभावना है, उन्हें ऐसी सूचना प्रदान करने वाले प्रावधान को हमेशा अनिवार्य माना जाना चाहिए। अन्यथा, यह प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सार्वजनिक सूचना देने के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा।

हालांकि, अन्य अधिनियमो के प्रावधानो पर हमने इस न्यायालय के निर्णयो से जो दृष्टिकोण लिया है उसका एक व्यापक आधार है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) आधिकारिक राजपत्र और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रो में, जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में होगा। धारा 4 (1) आगे प्रावधान करती है कि कलेक्टर उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानो पर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना देगा। खुब चंद और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, [1967] 1 एस.सी.आर. 120, सुब्बा राव, सी.जे., ने धारा 4 (1) के उद्देश्य और दायरे

का अर्थ करते हुये इस विचार को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता वाली धारा के प्रावधान अनिवार्य हैं और विधायिका ने सोचा कि यह बिल्कुल आवश्यक था कि भूमि के मालिक को प्रस्तावित अधिग्रहण की स्पष्ट सूचना होनी चाहिए। यह कहा गया था कि यह तथ्य कि मालिक को किसी अन्य माध्यम से इच्छित अधिग्रहण के विवरण की सूचनामिल सकती है, धारा 4 के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और अधिसूचना के प्रकाशन की विधि का पालन करने के दायित्व से मुक्त नहीं होता है। यह भी देखा गया कि अनिवार्य निर्देश का पालन किए बिना धारा 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना अमान्य होगी और उसके अनुसार की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी अमान्य होगी। इस न्यायालय के बाद के कई फैसलों में इस दृष्टिकोण को दोहराया गया है। कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) इलाहाबाद और अन्य बनाम राजाराम जयसवाल, आदि, [1985] 3 एस.सी.सी. 1; में पहले के अधिकांश निर्णयों का उल्लेख किया गया है और खुब चंद मामले में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराया गया है।

वर्तमान मामले में, नोटिस केवल स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् दैनिक प्रताप, हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द इंडियन एक्सप्रेस और नवभारत टाइम्स में प्रकाशित किया गया है। यह धारा 44 के तहत प्रदान किए गए प्रकाशन के तीन साधनों में से केवल एक है और यह स्पष्ट रूप से धारा की अनिवार्य आवश्यकताओं से कम है। चूंकि धारा 44 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए विचाराधीन नोटिस की कोई वैधता नहीं है और उसके अनुसार की गई कार्रवाई की भी कोई वैधता नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार किया जाता है, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है, विवादित सार्वजनिक सूचना को यहाँ और अधीनस्थ अदालत में लागत के साथ अपास्त किया जाता है।

अपील स्वीकार की गई।

वाई.लाल

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।